SHORTAGE OF JUDGES

***48. Sh. Rakesh Daultabad, M.L.A**: Will the Chief Minister be pleased to state the following information regarding the Judges in Lower Courts in State:-

a) the Court wise number of Judges in State;

b) whether the State has adequate number of Judges in Courts or is there a shortage of Judges in State;

c) the number of required Judges in State with Court wise division; and

d) the steps being taken by the Government to meet out the shortage of Judges in Haryana judiciary?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

Sir, a statement is laid on the table of the House.

Scanned with OKEN Scanner

STATEMENT OF SH. MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER IN RESPECT OF STARRED QUESTION *48 ASKED BY SH. RAKESH DAULATABAD, M.L.A.

a) The sanctioned strength of **246** posts of Haryana Superior Judicial Service Officers (Sessions Court) and **526** posts of Civil Judge (Junior Division) are sanctioned in **Lower Courts** in cadre of Haryana Civil Service (Judicial Branch);

b)& c) The State has adequate number of sanctioned strength of Judges, a temporary shortage that may occur due to retirement, etc., is being addressed by direct recruitment and promotions regularly. Presently, the State requires 68 Officers in Higher Judiciary in the cadre of Haryana Superior Judicial Service, out of which 39 posts are to be filled by promotion and remaining to be filled up by way of direct recruitment. Whereas, 129 positions of Civil Judges (Junior Division) are vacant in cadre of Haryana Civil Service (Judicial Branch), the recruitment is in process; and

d) The matter regarding filling up 129 vacant posts of Haryana Civil Service (Judicial Branch) is under consideration of the State Government. An Interlocutory Application in Civil Appeal No. 1867/2006 titled as Malik Mazhar Sultan vs. UPPSC and others was moved by the State of Haryana in the Supreme Court of India on 07 April 2022. The matter regarding filling up of 29 vacancies (under direct quota) in Haryana Superior Judiciary is under consideration in the High Court and promotion case of Civil Judges (Junior Division) to the post of Additional District and Sessions Judges is also under consideration with State Government after an advice was sought from the Ministry of Law and Justice, Government of India.

Scanned with OKEN Scanner

NOTE FOR PAD

District Court: -

a) That the sanctioned strength in District Court's i.e.**Sessions Court** (Higher Judiciary) are **246** posts of Haryana Superior Judicial Service Officers and **526** posts of Civil Judge (Junior Division) are sanctioned in **Lower Courts** in cadre of Haryana Civil Service (Judicial Branch) in State;

There are two method of recruitment in Higher Judiciary i.e. in the cadre of Haryana Superior Judicial Service are as under: -: -

Recruitment to the Service shall be made by the Governor,-

(i) by promotion from amongst the Haryana Civil Service (Judicial Branch) in consultation with the High Court; and

(ii) by direct recruitment from amongst eligible Advocates on the recommendations of the High Court on the basis of the written and viva voce test conducted by the High Court.

Regular recruitment.

(1) Recruitment to the Service shall be made,-

(a) **65 percent by promotion** from amongst the Civil Judges (Senior Division)/Chief Judicial Magistrates/Additional Civil Judges (Senior Division) on the basis of principle of merit-cum-seniority and passing a suitability test;

(b) **10 percent by promotion strictly on the basis of merit** through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than five years qualifying service as Civil Judges (Senior Division)/Chief Judicial Magistrates/Additional Civil Judges (Senior Division); and who are not less than thirty five years of

Scanned with OKEN Scanner

age on the last date fixed for submission of applications for taking up the limited competitive examinations:

Provided that if candidates are not available for 10 percent seats, or are not able to qualify in the examination then vacant posts shall to be filled up by regular promotion in accordance with clause (a); and

(c) **25 percent of the posts shall be filled by direct recruitment** from amongst the eligible advocates on the basis of the written and viva voce test, conducted by the High Court.

b) The State Government has increased the sanctioned strength of Haryana Judiciary by 20% at Both levels vide this office letter No. 23/01/2013-1SIII, dated 29.08.2019 as recommendations made by the Registrar General, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh as decided by the Hon'ble Arrears Committee in its meeting dated 06.05.2019, in compliance of the D.O. letter dated 26.02.2023 of the Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, the then Chief Justice of India. Therefore, the State of Haryana has adequate number of sanctioned strength of Higher and Lower posts of Judges at both level in the Haryana District Courts, but there is some temporary shortage of Judges in State due to retirement in Higher Judiciary & discrepancies noticed by State in promotion case to this cadre.

Further, in Lower Judiciary also there is temporary shortage of 129 Officers of Haryana Civil Service (Judicial Branch) due pendency of case at Supreme Court of India, as the recruitment is an ongoing process;

c) The State Government has required 68 Judicial officers in Higher Judiciary in the cadre of Haryana Superior Judicial Service, out of which 39 posts are to be filled by promotion and remaining vacancies are to be filled up by direct recruitment, which is totally under administrative control of the High Court

Scanned with OKEN Scanner

as per Article 235 of the Constitution of India. Whereas, 129 positions of Civil Judges (Junior Division) are vacant in cadre of Haryana Civil Service (Judicial Branch), which is under consideration of the State Government; and

d) The State Government is also taking steps to initiate the fresh recruitment process to fill up 129 vacant posts of Haryana Civil Service (Judicial Branch) to meet out the shortage of Judges in Lower Judiciary, but it is put on hold due to pending Interlocutory Application in Civil Application No. 1867/2006 titled as Malik Mazhar Sultan vs. UPPSC and others in the Supreme Court of India. Further, the matter regarding filling up of vacancies in Haryana Superior Judiciary is also under consideration in the High Court to fill up 29 posts of direct recruitment, whereas the promotion case of Civil Judges (Junior Division) to the post of Additional District and Sessions Judges is also under consideration with State Government.

Further, stated that the last recruitmenthave been conducted by the High Court in Higher Judiciary as well as in the Lower Judiciary by the Hon'ble Selection Committee in year 2022-23 only.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायाधीशों की कमी

*48 **श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर):**

क्या मुख्यमंत्री राज्य की निचली अदालतों में न्यायाधीशों से संबंधित निम्न सूचना देने की कृपा करेंगेः–

(क) राज्य में न्यायालयों वार न्यायाधीशों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या राज्य के पास न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त है या राज्य में न्यायाधी"ों की कमी है,

(ग) राज्य में न्यायालय मण्डल–वारअपेक्षित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तथा

(घ) हरियाणा न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे है?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमत्रीं, हरियाणा

श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

श्री राकेश दौलताबाद, विधायक, बादशाहपुर द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सख्या 48 के जबाब में श्री मनोहर लाल, मुख्यमत्रीं का वक्तवयः—

क) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के काडर में निचली अदालतों में हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारियों (सत्र न्यायालय) के 246 पद और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 526 पद स्वीकृत हैं।

ख और ग) राज्य में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पर्याप्त संख्या में है, सेवानिवृत्ति आदि के कारण होने वाली अस्थायी कमी को नियमित रूप से सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा संबोधित किया जा रहा है। वर्तमान में, राज्य को हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा काडर में उच्च न्यायपालिका में 68 अधिकारियों की आवश्यकता है, जिनमें से 39 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं और शेष सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं। जबकि, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के काडर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 129 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, और

घ) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के 129 रिक्त पदों को भरने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। सिविल अपील संख्या 1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान बनाम यू0पी0पी0एस0सी और अन्य शीर्षक से एक अंतर्वर्ती आवेदन 07 अप्रैल 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा राज्य द्वारा दायर किया गया था। हरियाणा वरिष्ठ न्यायपालिका की 29 रिक्तियों (सीधी भर्ती के तहत) को भरने के संबंध में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के पद पर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) की पदोन्नति का मामला भी कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से मंत्रणा प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Scanned with OKEN Scanner

पैड के लिए नोट

जिला अदालतः–

(क) राज्य में जिला न्यायालय अर्थात् सत्र न्यायालय (उच्च न्यायपालिका) में हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारियों के 246 पद स्वीकृत हैं और हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के काडर में निचली अदालतों में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 526 पद स्वीकृत है;

उच्चतर न्यायपालिका में भर्ती अर्थात हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा के काडर में दो विधियां है जोकि निम्नानुसार हैः–

सेवा में भर्ती राज्यपाल द्वारा की जाएगीः–

(i) उच्च न्यायालय के परामर्श से हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में से पदोन्नति द्वारा,

(ii) उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा;

नियमित भर्तीः–

(1) सेवा में भर्ती की जाएगीः–

(2) (क) 65 प्रतिशत योग्यता एवं वरिष्ठता तथा उपयुक्तता परीक्षा पास करने के सिद्वांत के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों/अपर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) में सें पदोन्नति द्वाराः

(3) (ख) 10 प्रतिशत सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों/अपर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) के रूप में कम से कम पांच वर्ष की अर्हक सेवा रखने वाले सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) की परिसीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से यथार्थतः मैरिट के आधार पर पदोन्नति द्वारा तथा जो परिसीमित प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियत अंतिम तिथि को कम से कम पैंतीस वर्ष के हो : तथा

(4) बशर्ते कि यदि 10 प्रतिशत सीटों के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो रिक्त पदों को खंड(ए) के अनुसार नियमित पदोन्नति द्वारा भरा जाएगाः और

(5) (ग) 25 प्रतिशत पद उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर पात्र अधिवक्ताओं मे से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगें।

ख) राज्य सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की सिफारिशों के अनुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या 23/01/2013–1एस.III, दिनांक 29 अगस्त 2019 के माध्यम से दोनों स्तरों पर हरियाणा न्यायपालिका की स्वीकृत शक्ति में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है, जैसा कि माननीय एरियर समिति ने दिनांक 06 मई 2019 की बैठक में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर के अर्धसरकारी पत्र दिनांक 26 फरवरी 2023

Scanned with OKEN Scanner

के अनुपालन में निर्णय लिया था। इसलिए, हरियाणा राज्य में हरियाणा जिला न्यायालयों में दोनों स्तरों पर न्यायाधीशों के उच्च और निम्न पदों की स्वीकृत संख्या पर्याप्त संख्या में है, लेकिन उच्च न्यायपालिका में सेवानिवृत्ति और राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के मामले में देखी गई विसंगतियों के कारण इस काडर में न्यायाधीशों की कुछ अस्थायी कमी है।

इसके अतिरिक्त, निचली न्यायपालिका में भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के 129 अधिकारियों की अस्थायी कमी है, क्योंकि भर्ती एक सतत प्रक्रिया में है।

ग) राज्य सरकार को हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के कैडर में उच्च न्यायपालिका में 68 न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता है, जिनमें से 39 पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं और शेष रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी हैं, जो पूरी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। जबकि, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के कैडर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 129 पद रिक्त हैं, जिस पर मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और

घ) राज्य सरकार निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के 129 रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कदम उठा रही है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1867 वर्ष 2006 मलिक मजहर सुल्तान बनाम यू0पी0एस0सी0 व अन्य में लंबित इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन के कारण इसे रोक दिया गया है। इसके अलावा, हरियाणा वरिष्ठ न्यायपालिका में सीधी भर्ती के 29 पदों को भरने व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के पद पर सिविल जज (जूनियर डिविजन) की पदोन्नति का मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

इसके अलावा उच्च न्यायालय की चयन समिति द्वारा उच्च न्यायपालिका के साथ-साथ निचली न्यायपालिका की पिछली भर्ती अभी वर्ष 2022-23 में ही आयोजित की गई है।

Scanned with OKEN Scanner